

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2017
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 28/11/2017 19:35 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): 28/11/2017 Date To (दिनांक तक): 28/11/2017
Time Period (समय अवधि): Pahar 7 Time From (समय से): 18:43 hrs Time To (समय तक): 18:43 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/11/2017 Time (समय): 18:43 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 28/11/2017 18:43 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): sonapat,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): KUNDLI

District (State) (जिला (राज्य)): SONIPAT (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Narinder Singh
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 20/07/1965 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., डाइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	HNo 453-A Dev Colony Rohtak, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	HNo 453-A Dev Colony Rohtak, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9050008241

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	रणबीर सिंह पटवारी			1. पलडीकला त0 राई जिला सोनीपत,SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्री मान जी, तहरीर निम्न प्रकार से है कि जांच क्रमांक 5 दिनांक 5.09.13 सोनीपत महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 23183/1-1/रा0चौ0ब्यूरो पंचकुला दिनांक 11.09.2013 अनुसार पडताल हेतु इस कार्यालय के डायरी नं0 2414 दिनांक 16.09.2013 के अनुसार प्राप्त हुई थी। यह जांच आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई थी। जांच पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक की देख रेख में श्री रामभज उप पुलिस अधीक्षक रोहतक द्वारा की गई। जिसमें आरोप था कि रणबीर सिंह पटवारी हल्का कुण्डली S/0 श्री अतर सिंह कौम जाट गाँव पलडीकला त0 राई जिला सोनीपत ने गाँव नाथपुर में रजिस्ट्री नं0 6498 दिनांक 12.11.10 को 23.44 लाख रु0 में 3 कनाल 15 मरले जमीन व रजिस्ट्री नं0 12068 दि0 08.09.11 अनुसार 19.69 लाख रु0 में 2 कनाल 5 मरले जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीद की हुई है। एक कार नं0 एच0 आर0-10 टी0-0990 खरीद की हुई है व एक रिवाल्वर खरीद कर रखी है, जिससे लोगो को डरा धमकाकर रिश्वत की मांग करता है तथा इसने कई प्लाट सोनीपत शहर राई,कुण्डली,पुलिस चौकी बहालगढ के पास जटवाडा सोनीपत में व अन्य आस-पास के शहरों में अपने व अपने परिवार तथा अपने रिश्तेदारो के नाम खरीद करके आय से अधिक सम्पति अर्जित की है। प्रतिवादी द्वारा गाँव दहिसरा के इंतकाल नं0 955 में वर्णित भूमि की खरीद फरोख्त में भागीदारी है तथा दिनांक 05.01.10,14.01.10,17.01.10, 22.01.10, 27.01.10,08.02.10, 23.02.10, 03.03.10, 05.03.10, 17.03.10, 22.03.10, 23.03.10, 25.03.10, 26.03.10, 28.03.10 की नकले प्रतिवादी द्वारा दी गई है व सरकारी फीस मुबलिक रकम 4675 रु का गबन किया। प्रतिवादी द्वारा गाँव दहिसरा में इंतकाल 1018,1022 व 1099 फर्जी किया है। जांच की पडताल उपरान्त श्री रणबीर सिंह दिनांक 06.06.97 को बतौर पटवारी नियुक्त होना पाया गया है। अपनी नियुक्ति के दौरान प्रतिवादी सोनीपत,गन्नौर,राई व कुण्डली आदि जगहों पर तैनात रहा है। प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमति बिमला देवी के नाम रजि0 6498 दि 12.11.10 अमुसार 3 कनाल 15 मरले जमीन रतनी पुत्री श्री अंग्रेज से मुबलिक रकम 23,44,000 रु में गाँव नाथपुर में खरीद की जानी पाई गई। जिस पर 70,320 रुपये स्टाम्प शुल्क व 12500 रुपये पंजीकरण शुल्क दिया गया। इसी प्रकार गाँव नाथपुर में ही प्रतिवादी द्वारा रजि0 नं0 12068 दि0 08.09.11 अनुसार 2 कनाल 5 मरले जमीन अपनी पत्नी श्रीमति बिमला देवी के नाम मुबलिक रकम 19,69,000 रु में शीला व उर्मिला पुत्रीयान श्री जवाहर सिंह वासी नाथपुर से खरीद की जानी पाई गई जिस पर 59070 रुपये स्टाम्प शुल्क तथा 10,000 रुपये पंजीकरण शुल्क दिया गया। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त जमीन की खरीद फरोख्त अपनी पैतृक 8 कनाल जमीन दिनांक 21.09.10 को फुल पेमेन्ट ईकाररानामा पर 60 लाख रुपये में बेचकर उसमें से प्राप्त नकद 55 लाख रु मे खरीद की जानी बताई परन्तु खरीददार मुकेश कुमार के बैंक खाते में उपरोक्त समय अवधि में इस राशि की निकासी बारे कोई ईद्राज नहीं मिला। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त 8 कनाल भूमि पटवारी रणबीर सिंह के नाम ही है। रणबीर सिंह पटवारी ने उपरोक्त 8 कनाल जमीन बेचने बारे अपने विभाग को भी सूचित नहीं किया अत इसे उसकी जात स्त्रोतो से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी द्वारा एक कार एच0आर0-10टी0-0990 खरीदने के सम्बन्ध में उप मण्डल अधिकारी सोनीपत की रिपोर्ट अनुसार कार एच0आर0-10टी0-0990 श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह वासी म0 नं0 1202,सेक्टर-14,सोनीपत के नाम पर दर्ज है इस सम्बन्ध में योगेन्द्र सिंह ने अपने कथन में बतलाया कि एच0 आर0 10 टी 0990 उसकी गाडी है और आज भी यह गाडी उसके पास है। रणबीर सिंह पटवारी उसका दोस्त है। दोस्ती होने के नाते कभी-कभी अपने काम

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

के लिए इस गाड़ी को मांग कर ले जाता है प्रतिवादी व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी वाहन दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक प्रतिवादी द्वारा रिवाल्वर खरीद व अपने पास रखकर गरीब किसानों को डराने, धमकाने व जबरन रिश्वत वसूली का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कथनों व प्रलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि जिलाधीश सोनीपत की रिपोर्ट अनुसार शस्त्र लाइसेंस नं० 3308/डी० एम०/एस०एन० पी०/जुलाई-2004 प्रतिवादी के नाम पर जारी किया जाना पाया गया, जिस पर एक रिवाल्वर .32 बोर नं० एफ०जि०-32941, एम० के०-1 दर्ज है, जोकि फोल्ड गन फैक्टरी, कालपी रोड कानपुर से दिनांक 22.11.04 को मुबलिक रकम 62,116/-रु में खरीद किया जाना पाया गया। जहां तक प्रतिवादी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम शहर सोनीपत, राई, कुण्डली, बहालगढ चौकी के पास व जटवाडा (सोनीपत) ऐरिया में प्रोपर्टी खरीदने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में तहसीलदार सोनीपत, राई जिसमें उपरोक्त ऐरिया आता है, से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार सोनीपत की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई भूमि व प्लाट आदि नहीं है। नायब तहसीलदार राई की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी के नाम पर उसके पैतृक गांव पलडीकला में 21 कनाल 17 मरले भूमि की मलकीयत है व गांव नाथपुर में प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती बिमला देवी के नाम पर 6 कनाल भूमि की मलकीयत है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम तहसील राई में और कोई जमीन या प्लाट दर्ज नहीं पाया गया। प्रतिवादी द्वारा जो रिवाल्वर खरीद किया गया है, इस सम्बन्ध में विभाग से कोई अनुमति प्राप्त की जानी नहीं पाई गई। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध हरियाणा सीविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) की धारा 8 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश की गई। जांच के दौरान गलत इन्द्राज करने, ईतकाल/नकल देने की फीस के गबन व किसानों को रिवाल्वर से धमका कर रिश्वत लेने के आरोप सिद्ध नहीं रहे। दिनांक 05.03.10 को प्रतिवादी द्वारा एक खाते व एक इंतकाल की नकल दी जानी पाई गई है। जिनकी सरकारी फीस लगभग 460 रु बनती है, जो प्रतिवादी द्वारा उजरत रजि० में दर्ज की जानी नहीं पाई गई है। उस समय प्रतिवादी पर दो पटवार सर्कल राई व जांटी कलां का चार्ज पाया गया व फसल की गिरदावरी का कार्य भी चलना पाया गया, इस प्रकार कार्य की अधिकता के कारण उक्त 460/-रु की सरकारी फीस का इन्द्राज ना होना व जमा ना करवाना प्रतीत होता है। प्रतिवादी से 460/-रु की रिकवरी व हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) की धारा 8 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश करके हरियाणा सरकार मुख्यालय के माध्यम से भेजी गई थी। आरोपी की नोकरी पाने व जांच दर्ज होने तक वेतन तथा उसकी पेंशनिक सम्पत्ति से प्राप्त कुल बचत 12,63,424 रुपये बनती है जबकि उसने इस दौरान दिनांक 22.11.2004 को 62116 रुपये रिवाल्वर खरीदने में, दिनांक 12.11.2010 को 23,44,000 70,320 12,500 24,26,820 रुपये 3 कनाल 15 मरले जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीदने में, दिनांक 8.9.2011 को 19,69,000 59,070 10,000 20,38,070 रुपये 2 कनाल 5 मरले जमीन नाथपुर में अपनी पत्नी के नाम खरीदने में, (कुल 45,27,006 रुपये) बनती है। इसकी 32,63,582 रुपये की सम्पत्ति आय से अधिक मिली। जो जांच महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिन्होंने अपने आदेश क्रमांक 62/59/13 - 4 चौकसी-1] दिनांक 12-10-2017 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 13031/1-1/रा०चौ० ब्यूरो पंचकुला दिनांक 18.10.2017 द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध 13(1) ई/ 13(2) पी०सी० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये। जो आदेश प्राप्त होने पर मुकदमा बा जुर्म दर्ज उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन व ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाए। आगामी तफतीश हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवाकर नकल मिशल पुलिस व असल तहरीर मय समस्त जांच रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जाये। (नरेन्द्र सिंह, 30पु०अ०) रा०चौ० ब्यूरो रोहतक। अज थाना हस्ब आमदा तहरीर पर मु० बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके FIR की प्रतियां तैयार कि गई। अफसरान बाला को बजरियां स्पेशल मैसेन्जर/ Mail द्वारा सूचना दी गई व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित जांच रिकार्ड SP साहब द्वारा नियुक्त I/O उप पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के हवाले किया गया व सि० नसीब 1731/झज्जर के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा उप पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह की I.D. पर P/निरीक्षक नरेन्द्र कुमार की हाजिरी में दर्ज रजिस्टर किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): Narinder Singh (Dy. SP (Deputy Superintendent of Police))/IPS or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इन्कार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Narinder Singh

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1980				
Is Proxitted: Yes						
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8		9	10	11	12	13
Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

